न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/91)

1. कृषि उपज मण्डी समिति महवा मण्डावर जरिये सचिव सुभाष चन्द महावर पुत्र श्री कल्याण सहाय महावर

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।
2. गोपाल पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी हुडला तहसील महवा जिला दौसा।
3. जयराम पुत्र हरिया जाति मीना निवासी बालाहेडी।
4. नारायणी देवी पत्नी विश्राम
5. संतोष पुत्र बाबूलाल
6. सचिन पुत्र बाबूलाल
7. सोमोत्या पुत्र विश्राम
   समस्त जाति मीना निवासी हुडला तहसील महवा जिला दौसा।
8. बहडी पुत्री विश्राम पत्नी बाबूलाल जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ।
9. नहनी पुत्री विश्राम पत्नी शिवराम जाति मीना निवासी बैरोज तहसील टोडाभीम।
10. ललिता पुत्री विश्राम पत्नी छाजूराम जाति मीना निवासी ढण्ड तहसील लक्ष्मणगढ।
11. धनपति पुत्री विश्राम पत्नी केदार जाति मीना निवासी हाल सूरोठ तहसील हिण्डौन।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा निर्णय दिनांक 18.01.2022 बसिलसिला मि.सं. 115/2012 उनवानी कृषि उपज मण्डी समिति महवा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

उपस्थित :–

1. श्रीमती मंजू जोशी, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 11 की ओर कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक–26.03.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.01.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की आंवटनशुदा भूमि का पट्टा संख्या 10 ग्राम पंचायत बालाहेडी ने दिनांक 27.05.1982 को जारी कर कब्जा संभला दिया था। प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति का कब्जा लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति को पट्टाशुदा भूमि का गत खसरा नम्बर 3/119 था जिसका खाता राजकीय भूमि का है जो निवास या बास स्थल है तथा गैर मुमकिन आवादी भूमि दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 3/119 से नवीन खसरा नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 13 बनाये गये है। गत नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 3/119 दर्शा रखा है उसी स्थान पर नवीन ट्रेस में भू प्रबन्ध के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दौरान नवीन खसरा नम्बर 11 व 10 अंकित कर दिया गया है जबकि उस स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 अंकित होना चाहिये था। आराजी खसरा नम्बर 11 खातेदारी की कृषि भूमि है। गत खसरा नम्बर 11 के गत खसरा नम्बर 3/115 व 3/116 तथा नवीन खसरा नम्बर 10 का गत खसरा नम्बर 4 था भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी उक्त भूल को दुरूस्त करवाने के लिये कृषि उपज मण्डी समिति अधिकारी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा प्रार्थी कृषि उपज मण्डी महवा मण्डावर का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाये जाने पर प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति महवा मण्डावर का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट कृषि उपज मण्डी समिति महवा मण्डावर जरिये सचिव सुभाष चन्द महावर पुत्र श्री कल्याण सहाय महावर ने यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 18.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी ने विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दू को समझे बिना कतई गलत मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 3/119 के गत खसरा नम्बर 10 व 11 अंकित कर दिये है जो गलत है तथा उक्त तथ्य को तहसीलदार महोदय ने स्वीकार किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त बिन्दु को नकार कर प्रार्थी की अपील खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। भू–प्रबन्ध विभाग के दस्तावेजों के अनुसार 3/119 के नवीन खसरा नम्बर 4 व 5, 6, 7, 8, 9 व 11 बनाये गये है जो मिलान क्षेत्रफल से बखूबी साबित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को नकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करवाने हेतु प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति महुवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसके तहत पंचायत समिति महुवा ने निर्णय करते हुये अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा आज्ञा संख्या 38 दिनांक 21.05.1982 के अनुसार दिनांक 27/5/1982 को 82775 वर्गफीट भूमि का पट्टा को दिनांक 21/11/2012 को निरस्त कर दिया था तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की निगरानी माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें निर्णय करते हुये अपीलान्ट की निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा उक्त पट्टे को बहाल रखा गया, और प्रकरण पंचायत समिति महुवा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि दोनो पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर तनिक भी गौर नही किया और उक्त आदेश को ताक में रखकर मनमाना आदेश पारित किया है। खसरा नम्बर 3/119 के नवीन खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 बनाये गये है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत कर उक्त नम्बरों के स्थान पर खसरा नम्बर 10 व 11 का अंकन कर दिया गया जो कि गलत है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त नम्बरों की दुरूस्ती करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर बिना गौर किये ही तथा अपीलान्ट के अनुतोष को बिना पढे ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया था न कि घोषणा हेतु राजस्थान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत नही किया गया था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दुरूस्ती इन्द्राज के दावे को घोषणा का दावा समझकर निर्णय पारित किया है। जबकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में साक्ष्य के तौर पर दस्तावेजों का अवलोकन किया जाना ही पर्याप्त होता है और दस्तावेजों के अवलोकन से साबित है कि खसरा नम्बर 3/119 के नवीन खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 बनते है। जबकि खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 के स्थान पर खसरा नम्बर 10 व 11 का अंकन किया गया है जो दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व नक्शे से बखूबी साबित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दू को नकारते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 3/119 के नवीन खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 को जिस स्थान से हटाया जाना व उसके स्थान पर किस खसरा नम्बर को अंकित किया जाना यह केवल मात्र घोषणा के वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का विषय है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कतई आवश्यक नही था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को घोषणा का वाद समझते हुये सुनवाई कर भारी भूल की है, तथा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय भी प्रदान नही किया गया है, उक्त आधार पर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र इस बिन्दू पर निर्णय पारित किया जाना था कि उक्त खसरा नम्बर 3/119 के नवीन खसरा नम्बर 4 से 9 व 13 का अंकन राजस्व रिकार्ड में सही किया है या गलत किया है किन्तु उक्त बिन्दू से हटकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसकी नकल तैयार की जाकर दिनांक 11.02.2022 को अपीलान्ट के अधिवक्ता को प्राप्त हुई, तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को दिनांक 22.02.2022 को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दी। जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कोविड–19 के कारण उच्च न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दू में छूट प्रदान की गई। इसलिये अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा प्रार्थना पत्र 115/2012 उनवान्ी कृषि उपज मण्डी समिति महवा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 निरस्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 136 को स्वीकार फरमाया जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त होने का अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थी कृषि उपज मण्डी समिति महवा मण्डावर ने अपने कथनों के समर्थन में कोई राजस्व अभिलेख, साक्ष्य, सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी कृषि उपज मण्डी समिति महवा मण्डावर का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रमाणित नहीं होने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपने कथनों के समर्थन में कोई राजस्व अभिलेख, साक्ष्य, सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

निर्णय दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर